रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 30, 2003/कार्तिक 8, 1925

No. 169] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2003/KARTIKA 8, 1925

NOTARY
Name M.P. Srivastava
Area-Gr. Mumbai
Reg. No. 584/93
OF MAHARASHTRA

## सिंडिकेट बैंक

(प्रधान कार्यालय, मणिपाल)

## अधिसूचना

मणिपाल, 23 अक्तूबर, 2003

**संदर्भ संख्या 01/2003/2914.**—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 (1970 का पाँचवां)/(1980 का चौथा) की धारा 19 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिंडिकेट बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके तथा केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्द्वारा सिंडिकेट बैंक सामान्य विनियमावली, 1998 में आगे निम्नलिखित संशोधन कर रहा है अर्थात्,

1. (1) ये विनियम, सिंडिकेट बैंक सामान्य (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएंगे

   (2) ये, सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे

2. "सिंडिकेटबैंक सामान्य विनियमावली, 1998" को "सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमावली, 1998" के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा ।

3. "सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमावली, 1998" के विनियम 2 में

   (i) खण्ड (ङ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

   (ङ) 'समिति' से तात्पर्य "विनियम 2क के अंतर्गत गठित समिति" से होगा ।

   (ii) खण्ड (ञ) में निम्नलिखित शब्द और अंक अंत में जोड़े जाएंगे, अर्थात

"तथा निक्षेपधारी अधिनियम 1996 (1996 का 22) की धारा 11 के अधीन निक्षेपकर्ता तथा उसके द्वारा रखे गए हितकारी स्वामियों के रजिस्टर" ।

4. विनियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएंगे जिनके नाम इस प्रकार है

"2क(i) विनियम 67 के खण्ड (ii) में प्रदत्त के सिवाय, मण्डल इन विनियमों के उद्देश्य हेतु जब भी आवश्यक समझे, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में दो अन्य निदेशकों को सम्मिलित करते हुए एक समिति का गठन कर सकता है तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक एवं अन्य दो निदेशक सम्मिलित होंगे ।

(ii) इस विनियम के अंतर्गत गठित समिति, मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया संबंधी नियमों की अनुपालना करेगी ।"

NOTARY
Name M.P. Shrivast
Area-Gr. Mum
Reg. No.
OF MAHAR

6. विनियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएंगे जिनके नाम निम्नलिखित हैं :-

"5क(i) बैंक, एक ऐसा रजिस्टर बनाएगा जिसमें विषय सूची बनी होगी तथा इसमें शेयरधारकों के नामों के कार्डों की विषय सूची भी होगी तथा बैंक, शेयरधारकों के रजिस्टर में किए गए परिवर्तन की तारीख के पश्चात् 14 दिनों के भीतर विषय सूची में आवश्यक परिवर्तन करेगा ।

(ii) विषय सूची शेयरधारकों के रजिस्टर के साथ रखी जाएगी ।"

7. विनियम 7 के खण्ड (ii) में "फर्मों के मामले में" शब्दों के स्थान पर "साझेदारी फर्मों के मामले में" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

8. विनियम 8 में, खण्ड (ii) के बाद, निम्नलिखित खण्ड शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

"(iii) रजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रखा जाए जो ऐसे रक्षोपाय के अधीन होगा जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2000 का 21) के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक रिकार्ड को सुरक्षित रखने के लिए निर्धारित किया गया है ।"

9. विनियम 11 के खण्ड (ii) में "प्रति 100 शब्दों के लिए रु.5/- की दर पर" इस पद के बदले, "प्रति 1000 शब्दों के लिए रु.5/- की दर पर या ऐसे दर पर जैसा मंडल निर्धारित करे" यह पद प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

10. विनियम 12 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"12. रजिस्टर को बंद करना : बैंक, लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन एवं शेयर बाजार के साथ सूचीबद्ध करार सुनिश्चित करने के बाद, और भारत में परिचालित न्यूनतम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा कम से कम 7 दिन पहले नोटिस देने के बाद, शेयरधारकों का रजिस्टर, किसी भी अवधि के लिए या प्रति वर्ष कुल पैंतालीस दिनों से अनधिक अवधि के लिए, किंतु किसी भी समय तीस दिनों से अधिक नहीं, जैसा कि उनकी राय में अनिवार्य समझा जाए, बंद करेगा" ।

11 विनियम 13 में,

(i) खण्ड (ii) में "मंडल द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी" शब्दों के बदले "अन्य अधिकारी जो वेतनमान II की श्रेणी से या कंपनी सचिव की श्रेणी से नीचे नहीं होंगे" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) खण्ड (v) को छोड़ दिया जाएगा ।

12 विनियम 15 में "शेयर प्रमाणपत्र का नवीकरण" शीर्ष के लिए निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

RY ★ ASHTRA



13. विनियम 17 में, खण्ड (iii) तथा खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(iii) जब बैंक को शेयर प्रमाणपत्र के साथ लिखत प्राप्त होता है तथा अंतरण के पंजीकरण हेतु अनुरोध किया जाता है तो मण्डल या मण्डल द्वारा नामित समिति उक्त लिखत को प्रमाण पत्र सहित रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण अभिकर्ता (एजेंट) को इस उद्देश्य से सत्यापन हेतु अग्रेषित करेगी कि सम्पूर्ण तकनीकी अपेक्षाओं की अनुपालना कर ली गई है । बैंक को अंतरण हेतु प्रस्तुत किया जाने वाला लिखत यदि स्टांपित न हो तथा पंजीकरण हेतु उचित रूप से निष्पादित न किया गया हो तथा उसके साथ संबंधित शेयर प्रमाण पत्र संलग्न न किए गए हों तथा अन्य ऐसे साक्ष्य जो इस प्रकार के अंतरण का हक दर्शाने हेतु मण्डल द्वारा अपेक्षित हो, तो रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण एजेंट लिखत को शेयर प्रमाणपत्र सहित यदि कोई है, अंतरिती को पुनः प्रस्तुत करने हेतु लौटा देगा ।

स्पष्टीकरण :- "तकनीकी अपेक्षाओं" से तात्पर्य है

(क) अंतरण विलेख (डीड) विधिवत स्टांपित हों ।

(ख) अंतरण विलेख में अंकित प्रमाणपत्र संख्या या सुभिन्न संख्या का शेयर प्रमाणपत्र से मिलान हो

(ग) अंतरणकर्ता के हस्ताक्षर मेल खाते हों ।

(घ) अंतरण विलेख को साक्षित किया गया हो ।

(iv) जब तक मण्डल या मण्डल द्वारा नामित समिति विनियम 19 के अंतर्गत अंतरण के पंजीकरण हेतु मना नहीं करती तब तक, अब से, अंतरण को पंजीकृत माना जाए ।

(v) जब तक विनियम 19 के अंतर्गत शेयर का अंतरण मना नहीं किया जाता है तो अंतरण हेतु लिखत के प्रस्तुत करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर शेयर प्रमाणपत्र विधिवत् रूप से अंतरित करके अंतरिती को सुपुर्द किए जाएंगे ।

14. विनियम 19 में :-

(i) खण्ड (i) में "बोर्ड मना कर सकता है" शब्दों के लिए, "बोर्ड या समिति मना कर सकती है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खण्ड (i) के उपबंध को छोड़ दिया जाए ;

(iii) खण्ड (ii) में -

(क) प्रारंभिक भाग में "बोर्ड करेगा" शब्दों के लिए, "बोर्ड या समिति करेगी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) उप-खण्ड (ख) के लिए, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"यदि यह विचार है कि ऐसा पंजीकरण उप विनियम (i) में सूचित किसी एक आधार पर अस्वीकार किया जाना चाहिए तो अंतरणकर्ता एवं अंतरिती को इसकी सूचना, अस्वीकृति का कारण बताते हुए, अंतरण फार्म प्राप्त होने के 60 दिनों के अंतर्गत या संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करार में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नोटिस द्वारा लिखित रूप में दिया जाए" ।

15. विनियम 21 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण शामिल किए जाएंगे, अर्थात् :-
"स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, कोई शेयरधारक निम्न संदर्भों में पंजीकरण हेतु अर्ह नहीं होगा :-

(क) यदि वह किसी अवयस्क का अभिभावक है, तो उस अवयस्क के वयस्क बनने पर ;
(ख) यदि वह कर्ता के रूप में शेयर धारक है, तो कर्ता के रूप में उसकी जिम्मेदारी समाप्त होने पर" ।

16. विनियम 32 में, "इस परिणाम के लिए बोर्ड के संकल्प द्वारा" शब्दों के लिए, "इस आशय के लिए विनियम 31 के अंतर्गत समपहरण नोटिस की अवधि की समाप्ति के उपरांत आयोजित की जाने वाली बोर्ड की बैठक में बोर्ड के संकल्प द्वारा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

17. विनियम 44 में, "बैंक के किसी अन्य अधिकारी" शब्दों के लिए, "कंपनी सचिव या बैंक के किसी अन्य अधिकारी जो वेतनमान II से कम वेतनमान का नहीं होगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

18. विनियम 46 में, खण्ड (ii) के उपबंध में -

(i) "पंजीकृत डाक द्वारा, पावती सहित या रहित" शब्दों के लिए, "पंजीकृत डाक द्वारा, पावती सहित या रहित या कोरियर सेवा द्वारा या इलेक्ट्रानिक माध्यम से" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
(ii) "या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जैसा भी मामला हो" शब्दों को "सामान्य डाक माध्यम" शब्दों के बाद शामिल किया जाएगा" ।

19. अध्याय III में, -
(i) विनियम 47 में, "एक या अधिक निक्षेपागार" शब्दों के लिए, "निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 (ड) में परिभाषित किए अनुसार एक या अधिक निक्षेपागार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे
(ii) विनियम 48 से 55 तक छोड़ दिया जाए ।

20. विनियम 56 में, [illegible] "किसी प्राधिकृत अधिकारी" शब्दों के लिए "वेतनमान VII से ऊपर के [illegible]" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

ARY RASHTR ...rivastava umbai 4/93



21. विनियम 61 के बाद, निम्नलिखित विनियमों को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

"61 क मतदान में संवीक्षक

(i) जहाँ मतदान किया जाना है, बैठक का अध्यक्ष मतदान में दिए गए मतों के संवीक्षण के लिए संवीक्षकों की नियुक्ति करेगा और वे अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजेंगे ।

(ii) बैठक के अध्यक्ष को मतदान के परिणाम घोषित होने से पहले किसी भी समय संवीक्षकों को निकालने तथा इस प्रकार संवीक्षकों को निकालने से अथवा ऐसे किसी अन्य कारण से कार्यालय में उत्पन्न रिक्तियों को भरने का अधिकार प्राप्त होगा ।

(iii) इस विनियम के अंतर्गत नियुक्त दो संवीक्षकों में से एक जो सदैव कोई शेयरधारक ही होगा (बैंक का अधिकारी या कर्मचारी नहीं होगा) बैठक में उपस्थित होगा बशर्ते कि ऐसा शेयरधारक उपलब्ध हो तथा नियुक्ति हेतु इच्छुक हो ।

61ख. मतदान कराने की रिति तथा उसके परिणाम ।

(i) बैठक के अध्यक्ष को, मतदान कराने की रीति के विनियमन का अधिकार प्राप्त होगा ।

(ii) मतदान के परिणाम को उस संकल्प पर बुलाए गए बैठक का निर्णय माना जाएगा जिस पर मतदान कराया गया था" ।

22. विनियम 62 में, खण्ड (iii) के बाद, निम्नलिखित खण्ड शामिल किया जाएगा, अर्थात् :

"(iv) किसी शेयरधारक द्वारा कार्यवृत्त पुस्तक के निरीक्षण के लिए या किसी विशिष्ट बैठक के कार्यवृत्त की प्रति के लिए लिखित अनुरोध करने पर, बैंक शेयरधारक को, जैसा भी मामला हो, निरीक्षण के लिए अनुमति देगा या कार्यवृत्त की प्रति प्रस्तुत करेगा"

23. विनियम 65 में, खण्ड (i) में, उप-खण्ड (क) के अधीन, "100 (एक सौ) शेयरधारण करना" शब्दों के बदले "100 (एक सौ) शेयरों से अनधिक शेयरधारण करना" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

कृते सिंडिकेट बैंक

आर. के. अग्रोल, महा प्रबंधक

[सं. विज्ञापन/III/IV/293/03-असाधारण]

SYNDICATE BANK

(Head Office : Manipal)

NOTIFICATION

Manipal, the 23rd October, 2003

No. 01/2003/2914.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, (5 of 1970)/(4 of 1980), the Board of Directors of Syndicate Bank after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments further to amend Syndicate Bank General Regulations, 1998 namely,

1. (1) These regulations may be called the SyndicateBank General(Amendment) Regulations, 2003.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. "SyndicateBank General Regulations, 1998" shall be renamed as "SyndicateBank(Shares and Meetings) Regulations, 1998"

3. In Regulation 2 of "SyndicateBank(Shares and Meetings) Regulations, 1998"

   (i) for Clause (e), the following shall be substituted, namely :-

   (e) 'Committee' means "a Committee constituted under Regulation 2A,"

   (ii) in Clause (j), the following words and figures shall be inserted at the end, namely:-

   " and register of beneficial owners maintained by and depository under section 11 of the Depository Act, 1996 (22 of 1996)"

4. After regulation 2, the following new regulation shall be inserted, namely:-

"2A(i) Except as provided in Clause( ii) of regulation 67, the Board may constitute, as and when necessary, a Committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence Executive Director and two other directors as it may deem fit, for the purposes of these regulations.

(ii) The Committee constituted under this regulation shall observe such rules of procedure as may be specified by the Board".

Srivastava
Mumbai
54/93
ARASHTRA



5. In regulation 5, Clause (v) shall be omitted.

6. After regulation 5, the following regulation shall be inserted, namely:-

"5A(i) The Bank shall, unless the register is in such form as in itself to constitute an index, keep an index, which may be in form of a card index of the names of shareholders and shall, within fourteen days after the date on which any alteration is made in the register of shareholders, make the necessary alteration in the index.

(ii) The index shall be kept with the register of shareholders."

7. In regulation 7, in clause (ii) for the words "in case of firms", the words "in case of partnership firms" shall be substituted.

8. regulation 8, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely :-

"(iii) The register in electronic form shall be maintained subject to such safeguards as stipulated for securing electronic records under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000)."

9. In regulation 11, in clause (ii) for the words "at the rate of Rs. 5/- for every 100 words", the words "at the rate of Rs.5/- or at such rate as the Board may decide for every 1000 words" shall be substituted.

10. For regulation 12, the following shall be substituted, namely:-

"12. Closing of the register: The Bank may, after ensuring compliance of the applicable guidelines and the listing agreement with the Stock Exchanges, and after giving not less than seven days previous notice by advertisement in at least two newspapers circulating in India, close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time as may in its opinion, be necessary".

11. In regulation 13,

(i) In clause (ii) for the words " some other officer appointed by the Board", the words "some other officer not below the rank of Scale II or the Company Secretary" shall be substituted;

(ii) Clause (v) shall be omitted.

12. In regulation 15, for the heading " Renewal of share certificate" the following shall be substituted, namely:

"Issue of new or duplicate share certificate"

13. In regulation 17, for the clauses (iii) and (iv), the following clauses shall be substituted, namely:-

(iii) Upon receipt by the Bank of an instrument of transfer along with a share certificate with a request to register the transfer, the Board or the Committee designated by the Board shall forward the said instrument of transfer along with share certificate to the Registrar or Share Transfer Agent for the purposes of verification that the technical requirements are complied with in their entirety. The Registrar or share Transfer Agent shall return the instrument of transfer along with the share certificate, if any, to the transferee for resubmission unless the instrument of transfer is presented to the bank, duly stamped and properly executed for registration and is accompanied by the certificate of the shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to show the title of the transferor to make such transfer.

Explanation:- "Technical requirements" means

(a) Transfer deed shall be duly stamped;

(b) Certificate number or distinctive number mentioned in the transfer deed shall tally with the share certificate;

(c) Transferor's signature shall tally;

(d) Transfer deed shall be witnessed."

(iv) The Board or the Committee designated by the Board shall, unless it refuses to register the transfer under regulation 19 hereinafter, cause the transfer to be registered.

Mumbai 564/93 MAHARASHTRA

(v) Unless the transfer of shares is refused under regulation 19, the share certificate duly transferred shall be delivered to the transferee within sixty days from the date of lodging of the instrument of transfer.

14. In regulation 19:-

(i) In clause (i) for the words "The Board may refuse", the words "The Board or Committee may refuse" shall be substituted;

(ii) the proviso to clause (i) shall be omitted;

(iii) in clause (ii)-

(a) In the opening portion for the words " The Board shall", the words "the Board or Committee shall" shall be substituted

(b) for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

" If it has formed the opinion that such registration ought to be refused on any of the grounds mentioned in sub regulation (i) intimate the same to the Transferor and the Transferee by notice in writing giving reasons for such refusal within 60 days from the receipt of transfer form or within such period as may be laid down in the Listing Agreement with the concerned Stock Exchange".

15. The following Explanation shall be inserted in regulation 21, namely:-

"Explanation- For the purposes of this regulation, a shareholder may cease to be qualified for registration:-

(a) If he is a guardian of minor, on the minor attaining the majority;

(b) If he is holding shares as a Karta, on his ceasing to be a Karta"

16. In regulation 32, for the words "by a resolution of the Board to that effect" the words "by a resolution of the Board to that effect at its next meeting to be held after the expiry of the notice of forfeiture under regulation 31" shall be substituted.

17. In regulation 44, for the words "any other Officer of the Bank", the words "Company Secretary or any other Officer of the Bank not below the rank of Scale II" shall be substituted.

18. In Regulation 46, in proviso to the clause (ii)

(i) for the words " by registered post, with or without acknowledgement due" , the words "by registered post, with or without acknowledgement due or by courier service or in an electronic mode" shall be substituted;

(ii) The words "or electronic media, as the case may be" shall be inserted after the words "ordinary course of post".

19. In Chapter III,-

(i) *in regulation 47, for the words "one or more depository", the words* one or more depository as defined in section 2 (e) of the Depositories Act, 1996" shall be substituted;

(ii) regulations 48 to 55 shall be omitted.

20. In regulation 56, in clause (i), for the words "any authorized official" the words "any officer not below the rank of Scale VII or Company Secretary" shall be substituted.

21. After regulation 61, the following regulations shall be inserted, namely:-

"61A Scrutineers at Poll.

(i) Where a poll is to be taken, the Chairman of the meeting shall appoint two scrutineers to scrutinize the votes given on the poll and to report thereon to him.

(ii) The Chairman of the meeting shall have the power, at any time before the result of the poll is declared, to remove a scrutineer from the office and to fill the vacancy in the office of the scrutineers arising from such removal or from any other cause.

(iii) Of the two scrutineers appointed under this regulation one shall always be a shareholder( not being an Officer or employee of the Bank) present at the meeting; provided that such a shareholder is available and willing to be appointed.

61B. Manner of taking poll and result thereof.

(i) The Chairman of the meeting shall have power to regulate the manner in which a poll shall be taken.

(ii) The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken".

22. In regulation 62, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely;
"(iv) On written request made by a shareholder for inspection of the minute book or for a copy of the minute of a specified meeting, the Bank shall allow the inspection or furnish the copy of the minute, as the case may be, to the shareholder"

23. In regulation 65, in Clause (i), in sub-clause (a), for the words "holding 100 (one hundred ) shares" the words " holding not less than 100 (one hundred) shares" shall be substituted.

for Syndicate Bank

R. K. ABROL, General Manager

[ADVT/III/IV/293/03-Exty.]

NOTARY Name M.P. Srivastava Area-Gr. Mumbai Reg. No. 654/93 GOVT. OF MAHARASHTRA

VERIFIED BY ME

L. K. GARRIA
M. A. LL B; ADVOCATE,
H-20, SECTOR-6,
VASHI, NAVI MUMBAI-703

TRUE COPY ATTESTED BY ME

M. P. SRIVASTAVA
B.A. (Hons.) LL.B.-LL.M.
Advocate
NOTARY GREATER BOMBAY

21 MAY 2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.